


तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 35/2019 अनवान शेराराम उर्फ सत्यनारायण बनाम प्रभुराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16/12/20	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपरिथत। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/304 रकबा 16.19 बीघा, खसरा संख्या 1129/296 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 63.15 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।</p> <p>वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/304 रकबा 16.19 बीघा, खसरा संख्या 1129/296 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 63.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उप जज अधिकारी
बाडमेर

यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 2719
प्रार्थी

1 शेराराम उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवाराम
जाति जाट निवासी रामपुरा शिवकर तहसील
व जिला बाड़मेर।

बनाम

दिनांक - 16.12.20
अप्रार्थीगण

1 प्रभूराम पुत्र झीपाराम वगैराह जाति
जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 35/2019

दिनांक- 16.12.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1084/304 रकबा 16.19 बीघा, खसरा संख्या 1129/296 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 63.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 2720-23

दिनांक- 16.12.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शेराराम उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी रामपुरा शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रभूराम पुत्र झीपाराम वगैराह जाति जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर